# कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

## प्रेस-नोट

**दिनांक 08-02-2025**

आज दिनांक 08-02-2025 को श्री गौरव बंसवाल पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना कोतवाली प्रांगण कमिश्नरेट वाराणसी में संत रविदास जयंती को सकुशल संपन्न कराये जाने के परिपेक्ष्य में बैठक की गयी, जिसमे अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली, दशाश्वमेध, सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी एवं पदाधिकारीगण एवं संत रविदास जयंती कार्यक्रम व जुलूस/शोभायात्रा के सभी आयोजकगण उपास्थित रहें। गोष्ठी के दौरान पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये-

1. पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संत रविदास जयंती से सम्बन्धित ही झांकियाँ निकाली जाएं, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक झाँकियां न हो । साथ ही जुलूस के कार्यक्रम को समय से प्रारम्भ कर निर्धारित समय पर समाप्त करना भी सुनिश्चित करें ताकि आम जनमानस/स्थानीय लोगों को असुविधा न हो ।
2. किसी भी जुलूस / शोभायात्रा / कार्यक्रम में अभद्र / अश्लील गाने न बजाये जाए, इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उत्कृष्ट कोटि की भाषा वाले भजन बजाये जाएं ।
3. सभी आयोजकगण इस बात का ध्यान रखेंगे की जुलूस / शोभायात्रा / कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करेगा, न ही नशा करके जुलूस / शोभायात्रा में शामिल होगा।
4. जुलूस/शोभायात्रा/कार्यक्रम में किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़/छीटाकसी की घटना घटित न होने पाये ।
5. पुलिस उपायुक्त काशी-जोन द्वारा निर्देशित किया गया कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग तेज ध्वनि में नही करेगा । मा0 न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित डेसीबल में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाउड स्पीकर की आवाज कार्यक्रम स्थल से बाहर न जाये ।
6. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा अपील की गयी कि आप लोग अफवाहों से बचें, यदि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय का हो अफवाह फैलाते हो तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराएं । यदि कोई व्यक्ति अफवाहों पर विचार कर किसी प्रकार का कोई उद्दंडता करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

7. पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा निर्देशित किया गया कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, शोभायात्रा नहीं निकाला जाएगा, सभी लोग समय से अनुमति प्राप्त कर लें, अनुमति लेते समय इस बात का शपथ पत्र भी दिया जाएगा कि जुलूस कहां से कहां तक, कितने समय तक व कितने लोग उक्त जुलूस में सम्मिलित रहेंगे। केवल परंपरागत जुलूस, शोभायात्रा ही निकाला जाये।
8. पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा गोष्ठी में जुलूस संयोजको से अपील की गयी कि जुलूस में शामिल होने वाले व्यक्तियों / वॉलंटियर का पहचान पत्र बना के दें तथा जुलूस के आगे-पीछे व दाएँ-बाएँ तैनात करेंगें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जुलूस में कोई अन्य बाहरी व्यक्ति सम्मिलित न होने पाये।
9. पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा गोष्ठी के दौरान मौजूद सभी व्यक्तियों से कार्यक्रम को शांति/सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखते हुए मनाने हेतु अपील की गयी।
10. सभी पदाधिकारीगण से संत रविदास जयंती के अवसर पर निकलने वाले जुलूस एवं अन्य कार्यक्रमों को सकुशल शांति पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु सहयोग की भावना से कार्य किये जाने की अपील की गयी तथा उनके द्वारा भी पूर्ण सहयोग की भावना से कार्य किये जाने का आश्वासन दिया गया।

**सोशल मीडिया सेल**
**कार्यालय पुलिस उपायुक्त,**
**जोन-काशी**
**कमिश्नरेट वाराणसी।**